विहंगावलोकन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

अध्याय II विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है।

अध्याय III दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 1,603.90 करोड़ (5.73 प्रतिशत) से बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना मे कर राजस्व ₹ 685.21 करोड़ (2.64 प्रतिशत) से बढ़ गये। जबकि गैर-कर राजस्व ₹ 26.60 करोड़ (4.04 प्रतिशत) से घट गई तथा भारत सरकार के अनुदान ₹ 945.28 करोड़ (67.38 प्रतिशत) से बढ़ गये। 2014-15 में राज्य का अपना कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 89.92 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा पैरा 1.5.1)

चालू वर्ष के दौरान ₹ 23,509.49 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 1,142.97 करोड़ (5.11 प्रतिशत) से बढ़ गया है। 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 84.22 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 303.48 करोड़ घट गया। वर्ष 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का केवल 15.78 प्रतिशत था।

(पैरा 1.2 तथा 1.6)

सरकार ने ₹ 17,660.35 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा कॉपरेटिवों में निवेश किया हुआ था (31 मार्च 2015)। इन निवेशों पर

लाभ 0.07 प्रतिशत था जबकि 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 8.59 प्रतिशत था।

(पैरा 1.8.1)

राज्य की संपूर्ण राजकोषीय देयतायें 2010-11 के ₹ 30,140.09 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 32,497.91 करोड़ (7.82 *प्रतिशत*) हो गई। 2014-15 के अंत में की राजकोषीय देयताये राजस्व प्राप्तियों का 1.10 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.19 गुणा थी।

(पैरा 1.9.2)

मुख्य राजकोषीय पैरामीटर के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 460.93 करोड़ बढ़ गया था। 2013-14 का ₹ 3,942.71 करोड़ राजस्व घाटा 2014-15 में ₹ 218.83 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में परवर्तित हो गया तथा 2013-14 के दौरान ₹ 1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014-15 में ₹ 2,992.83 करोड़ के प्राथिमिक आधिक्य में परवर्तित हो गया।

(पैरा 1.11.1)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2014-15 के दौरान, ₹ 37,117.99 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 31,024.14 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,093.85 करोड़ की बचत हुई। ₹ 6,093.85 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत 13 अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में ₹ 4295.73 करोड़ की बचत और पूंजीगत क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 1,798.12 करोड़ की बचत हुई।

(पैरा 2.2)

वर्ष 2014-15 के विनियोजन लेखे दिखाते है कि छः अनुदानों तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित 24 मामलों में से प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनका कुल योग ₹ 2,743.11 करोड़ था।

(पैरा 2.3.1)

वर्ष 2014-15 में दो अनुदानों में ₹ 3.51 करोड़ का अधिक व्यय था जिसकी 2006-07 से 2013-14 से संबंधित अनुदान में ₹ 79.99 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता थी

(पैरा 2.3.4 तथा 2.3.5)

दो उपशीर्षों में ₹ 68.44 करोड़ की राशि के पूरक अनुदान उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। जबकि, अंतिम व्यय अब भी मूल अनुदान/विनियोग से भी कम था।

(पैरा 2.3.6)

10 अनुदानों तथा एक विनियोजन (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक की बचतों का संकेत दिया गया था) के अंतर्गत ₹ 5,598.47 करोड़ की बचतों में से ₹ 3,320.93 करोड़ (बचतों की राशि का 59.32 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.3.9)

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान अनुदान सं. 2-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत बारह मामलों/उप-शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी बचतें थी। नौ मामलों में व्यय का पूर्ण श्रेणीवार विभाजन किये बगैर ₹ 10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान किये गये थे।

(पैरा 2.6)

अध्याय III वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को जारी ऋणों और अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था। मार्च 2014 तक दिए गए ₹ 24,384.05 करोड़ की राशि के कुल 4211 अनुदानों में से, मार्च 2015 के अन्त तक ₹ 17,720.49 करोड़ के 3761 उ.प्र. विभिन्न विभागो से प्रतीक्षित थे। बकाया 37611 उ.प्र. में से ₹ 13,494.18 करोड़ के 2585 उ.प्र. (68.73 *प्रतिशत*) 2 से 10 वर्ष से बकाया थे, जबकि ₹ 4,226.31 करोड़ के 1176 उ.प्र. (31.27 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

(पैरा 3.1)

वर्ष 2013-14 तक तीन स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के 16 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा हेतु 31 मार्च 2015 तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

(पैरा 3.2)

31 मार्च 2015 को ₹ 254.76 करोड़ की बड़ी राशि उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया थी जिनका समाशोधन तथा वर्गीकरण लेखों के उचित शीर्षों के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.6)